नागरिकों के स्वयं अपने प्रति, अपने परिवार, पड़ौसी व समाज के प्रति भी कर्त्तव्य होते हैं। अत: प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि वह अपने शारीरिक, मानसिक व आर्थिक विकास के लिए प्रयास करे। अपने परिवार को सुखी बनाएं। अपने परिवार, ग्राम, नगर व समाज हित के कार्यों में सहयोग प्रदान करें।

## नागरिकों के मौलिक अधिकार :

हमारे संविधान ने हमें कई मौलिक अधिकार दिए हैं। अधिकारों का उपयोग करके व्यक्ति स्वयं, अपने परिवार एवं समाज के विकास में सहयोग दे सकता है। ये मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं–

## समानता का अधिकार :

समानता का अर्थ भारत में कानून के सामने (समक्ष) सब नागरिक समान समझें जाएंगे। किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

## स्वतंत्रता का अधिकार :

- इस अधिकार के तहत देश के हर नागरिक को भाषण देने, लिखने तथा अपने विचारों को प्रकट करने की आजादी (स्वतंत्रता) दी गई है।
- हर नागरिक को देश के किसी भी भाग में आने–जाने की स्वतंत्रता है।
- देश के किसी भी स्थान पर रहने की स्वतंत्रता है।
- अपनी इच्छानुसार कोई भी कारोबार करने की स्वतंत्रता है। पर उसका काम समाज विरोधी नहीं होना चाहिए।
- पैसा कमाने और खर्च करने की पूर्ण स्वतंत्रता है।

## शोषण के विरुद्ध अधिकार :

- चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या जोखिमपूर्ण काम में नहीं लगाया जा सकता है।
- किसी मनुष्य को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है।
- किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता है।
- किसी भी व्यक्ति को बिना पैसे दिए बेगारी में काम नहीं कराया जा सकता है।
- शोषण को घोर अपराध माना गया है।

## धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार :

- प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने, पालन करने व प्रचार करने की स्वतंत्रता है।
- कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई विशेष धर्म मानने को मजबूर नहीं कर सकता है।

## संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार :

हर नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने और उसके विकास करने का अधिकार है।

## संवैधानिक उपचारों का अधिकार :

- कोई भी नागरिक किसी अपराध का दोषी तब तक नहीं होगा जब तक कि वह कानून का उल्लंघन न करे।
- किसी एक अपराध के लिए उस पर एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
- यदि कोई आपके अधिकारों का हनन करता है तो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट में जा सकते हैं।

❑

साक्षर भारत


**राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण**
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
भारत सरकार, नई दिल्ली 110001
वेबसाइट : www.mhrd.gov.in, www.Mygov.in


साक्षर भारत

कानूनी साक्षरता शृंखला - 1

# नागरिकों के कर्त्तव्य एवं अधिकार

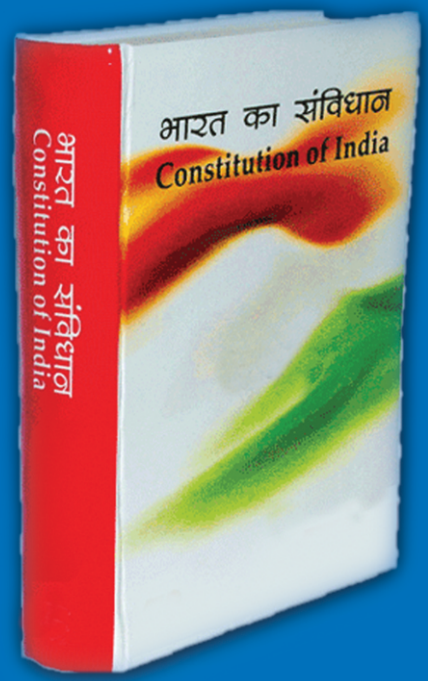

# नागरिकों के कर्त्तव्य एवं अधिकार

अधिकार एवं कर्त्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जहां अधिकार है वहीं कर्त्तव्य हैं। जहां कर्त्तव्य है वहीं अधिकार है। संविधान में अधिकार के साथ कर्त्तव्य भी जोड़े गए हैं। ये मूल कर्त्तव्य इस प्रकार हैं-

### संविधान का पालन करना :

प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि संविधान में बताई गई बातों (नियमों) का पालन करें। संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय गान का आदर करें। अर्थात् जब राष्ट्रीय गान (जन गण मन गान) गाया जाए या झंडा फहराया जाए तो उसके सम्मान में सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएं।

- जब भी झंडा फहराया जाए, झंडा साफ सुथरा हो। मैला कुचैला व फटा हुआ न हो।
- यदि झंडे के टुकड़े सड़क पर या कहीं भी दिखें तो उन्हें इकट्ठा कर ससम्मान किसी गड्ढे में डालकर मिट्टी से दबा दें। उन्हें पैरों से न कुचलें।
- संसद, विधानसभा द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों का पालन करें। कोर्ट (न्याय पालिका) द्वारा दिए गए निर्णयों का सम्मान करें व पालन करें।

### आदर्शों का पालन करना :

स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें।

### देश की अखंडता एवं एकता बनाए रखना :

देश के नागरिकों का कर्त्तव्य है कि देश को एकता के सूत्र में बांधे रहें। छोटी-बड़ी बातों के लिए आपस में लड़ाई-झगड़े न करें। धर्म, भाषा, प्रदेश, संप्रदाय व वर्गभेद की संकुचित भावना से ऊपर रहें। भाईचारे व एकता की भावना का विकास करें। देश की संप्रभुता की रक्षा करें।

### देश की रक्षा करना :

देश की रक्षा करना हर नागरिक का कर्त्तव्य है। फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करें। संकट के समय देश की रक्षा के लिए हर तरह का त्याग करने को तैयार रहें। देश की शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें।

### समरसता और समान भ्रातृत्व भावना :

भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।

### गौरवशाली परम्परा का परिरक्षण :

हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें।

### पर्यावरण की रक्षा करना :

प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें वन, झील, नदी, वन्य जीव शामिल हैं, उनकी रक्षा करें। सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखें। पेड़-पौधे, जल, वायु ये सब यदि शुद्ध होंगे तो पर्यावरण शुद्ध रहेगा। मानव जाति की इससे रक्षा होगी। प्राकृतिक संसाधनों का किफायती ढंग से उपयोग करें। इनका अंधाधुंध उपयोग न करें।

### वैज्ञानिक दृष्टिकोण :

वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। कुरीतियों, कुप्रथाओं एवं गलत परंपराओं का त्याग करें। स्वस्थ परंपराओं को अपनाएं। ज्ञान बढ़ाने और उसका विकास करने का प्रयास करें। सभी के प्रति मानवीय दृष्टि अपनाएं।

### सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना :

सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। यदि कोई सार्वजनिक संपत्ति जैसे- बस, इमारत आदि को कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उसे रोकें।

### सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा देना :

ऐसी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को बढ़ाएं व उनमें भाग लें जिससे व्यक्ति व देश का विकास हो। देश उपलब्धियों की नई ऊंचाइयां प्राप्त कर सके।

### बच्चों को शिक्षा के अवसर देना :

यदि माता-पिता या संरक्षक हैं तो छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक-बालिका या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

### अन्य कर्त्तव्य :

- नागरिकों के हित के लिए तथा कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य कानून बनाता है। अत: नागरिक सभी कानूनों का पालन करें।
- विभिन्न विकास कार्यों व कल्याणकारी योजना के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसके लिए राज्य कर (टैक्स) लगाता है। नागरिकों का कर्त्तव्य है कि ईमानदारी से समय पर कर चुकाएं।
- प्रजातंत्र जनता का शासन होता है। शासन चलाने के लिए जनता के प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। वे मिलकर सरकार बनाते हैं। नागरिक बिना किसी लालच के मतदान करें।
- सार्वजनिक पद पर नियुक्त होने पर सेवाभाव से अपने कर्त्तव्यों का पालन करें। बिना किसी पक्षपात के राष्ट्र के हित में काम करें।